उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि नियमावली, 1962

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि नियमावली, 1962 *कहलायेगी।

(2) यह नियमावली 1 अप्रैल, 1962 से प्रचलित होगी।

2--उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि, राज्यपाल की ओर से तथा उनके नाम से, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग द्वारा प्रशासित होगी।

3--इस निधि से अग्रिम धन ऐसी सेवाओं के केवल अप्रत्याशित व्यय (Unforeseen expenditure) को पूरा करने के लिये दिया जायगा, जिन पर वार्षिक विनियोग अधिनियम (ऐनुअल एप्रोप्रियेशन ऐक्ट) द्वारा यथा प्राधिकृत व्यय अपर्याप्त पाया जाय या उस दशा में दिया जाय जब चालू वित्तीय वर्ष में पूरक या अतिरिक्त नये व्यय या किसी नई सेवा या योजना पर व्यय, जो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र में अपेक्षित (Contemplated) न हो, की आवश्यकता उत्पन्न हो जाय। इस प्रकार का जो अप्रत्याशित व्यय विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक, स्वीकृत किया जाय, वह ऐसे आपाती प्रकार (emergent character) का होना चाहिये कि उसका स्थगन प्रशासनिक रूप से या तो सम्भव ही न हो अथवा उसके स्थगन से जनसेवा को भारी असुविधा या भारी हानि अथवा क्षति होने की संभावना हो।

**4--(1) इस निधि से अग्रिम धन के लिये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बद्ध प्रशासकीय विभाग के सचिव को प्रस्तुत किया जायगा और प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने पर वित्त विभाग यह सुनिश्चित करने के लिये उसकी संवीक्षा करेगा कि नियम तीन में दी हुई शर्तें पूर्णतः पूरी कर दी गई हैं। प्रशासकीय विभाग, ऐसे प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजने के समय, एक स्वतः पूर्ण टिप्पणी (self contained note) तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी :--

(एक) कितना व्यय होगा इसका संक्षिप्त ब्योरा;

(दो) वे परिस्थितियां जिनके कारण वार्षिक बजट में व्यय की व्यवस्था न की जा सकी, या लेखा अनुदान (Vote on Account) में पर्याप्त व्यवस्था न की जा सकी;

(तीन) विनियोग अधिनियम (एप्रोप्रियेशन ऐक्ट) के माध्यम से विधान मण्डल द्वारा इसके प्राधिकृत किये जाने तक व्यय का स्थगन प्रशासकीय रूप से क्यों सम्भव नहीं है;

(चार) वर्ष या उसके भाग के लिये, जैसी भी दशा हो, निधि से दिये जाने के लिए अपेक्षित धनराशि और प्रस्ताव के कारण होने वाला पूरा व्यय; और

(पांच) अनुदान या विनियोग जिसके अन्तर्गत अन्ततः कोई अनुपूरक व्यवस्था प्राप्त करनी होगी।

(2) प्रस्ताव से वित्त विभाग के सहमत हो जाने के पश्चात् प्रशासकीय विभाग सम्बद्ध मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करेगा और तत्पश्चात्, अग्रिम धन स्वीकृत करने का आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग के मंत्री तथा मुख्य मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा :

---

*इस नियमावली का सृजन उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 19, 1950 ई0) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किया गया है तथा यह शासकीय विज्ञप्ति संख्या--बी--953/दस--129--52 दिनांक 23 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**देखें नियमावली के अन्त में दी गई पाद टिप्पणी।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां अग्रिम की धनराशि 50,00,000 रुपये से अधिक न हो वहां मुख्य मंत्री का अनुमोदन आवश्यक न होगा और जब अग्रिम धन, डिक्री की धनराशि का भुगतान करने के लिये अपेक्षित हो, तब वित्त मंत्री का अनुमोदन भी आवश्यक न होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वगामी परन्तुक में किसी बात के होते हुये भी, वित्त विभाग ऐसे अग्रिम धन के किसी विशेष मामले को वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री को प्रस्तुत कर सकता है यदि उस मामले से कोई ऐसी असामान्य बात प्रकट होती हो जिस पर उसकी राय में, उन मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए ।

5—अग्रिम धन स्वीकृत करने के आदेश की एक प्रति, जिसमें धनराशि, वह अनुदान या विनियोग जिसके सम्बन्ध में वह हो, निर्दिष्ट होंगे, और जिसमें लघु शीर्षक (minor heads), उप-शीर्षक और व्यय की विनियोग इकाइयों के विवरण दिये होंगे, वित्त विभाग द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी ।

6—उक्त निधि से दिये गये अग्रिम धनों से किया गया वास्तविक व्यय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा निधि से सम्बन्धित उस लेखे में अभिलिखित किया जायगा, जिसे वह उन ब्योरों सहित रखेगा, जो ऐसी दशा में दिखाये जाते यदि व्यय संचित निधि से किया गया होता ।

7—ऐसे व्यय के सभी बिलों (bills) पर प्रमुख रूप से यह अंकित किया जायगा कि वे आकस्मिकता निधि संबंधी हैं और उनमें उस आदेश को उद्धृत किया जायगा जिसके अनुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन स्वीकृत किया गया है और संवितरण अधिकारी (Disbursing officer) इन बिलों पर सदैव व्यय का सामान्य वर्गीकरण लिखेंगे ।

8—उस दशा को छोड़ कर जब नियम 10 के अधीन व्यवस्था की गई हो, निधि से वित्त-पोषित सभी व्यय के अनुपूरक अनुमान शीघ्र से शीघ्र विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। ऐसा कोई भी अनुमान या तो उस पूरे अनुमानित व्यय के बराबर धनराशि के लिये हो सकता है जिसके लिये निधि से अग्रिम धन दिया गया है या कम की गई (reduced) धनराशि के लिये हो सकता है, जिस (कमी) का कारण सम्बद्ध अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतें हों, या जिसका कारण यह हो कि अग्रिम धन स्वीकृत करने के समय व्यय का जो अनुमान किया गया था बाद में वह आवश्यकता से अधिक पाया गया हो, या केवल प्रतीक धनराशि के लिये हो सकता है, यदि अन्तर्ग्रस्त व्यय सम्बद्ध अनुदान या भारित विनियोग में होने वाली बचतों सेही पूर्णतः पूरा किया जा सकता हो ।

टिप्पणियां—(1) निधि से वित्त पोषित व्यय के अनुपूरक अनुमानों को राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखने के समय ऐसे अनुमानों से सम्बन्धित व्याख्यात्मक स्मृति-पत्र में निम्नलिखित आशय की टिप्पणी दी जायेगी :—

> "उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन के रूप में .... रुपया दिया गया है और उक्त निधि में प्रतिदान के लिये उतनी ही धनराशि अपेक्षित है ।"

(2) यदि कोई ऐसा नया व्यय या नई सेवा या योजना पर व्यय, जो वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र में अपेक्षित न हो और जिसके लिये आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन स्वीकृत किया गया हो, प्राधिकृत विनियोग में उपलब्ध बचतों से पूर्णतः या अंशतः पूरा किया जा सकता है, तो प्रस्तुत किये गये अनुमान से संलग्न टिप्पणी निम्न रूप में होगी :—

> "व्यय, नयी सेवा/नई सेवा या योजना के सम्बन्ध में है। .... रुपये की अग्रिम धनराशि आकस्मिकता निधि में से दी गई है और उक्त निधि में प्रतिदान के लिये इतनी ही धनराशि अपेक्षित है। यह धनराशि, अर्थात .... द्वारा अनुदान/भारित

विनियोग में बचत के पुनर्विनियोग से उपलब्ध हो सकती है और शेष धनराशि अर्थात्...... रुपये के लिये अब केवल प्रतीक स्वीकृति अपेक्षित है/स्वीकृति अपेक्षित है / केवल व्यवस्था की गई है / व्यवस्था की गई है।

9--यदि किसी दशा में नियम 5 के अनुसार आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन देने की स्वीकृति दिये जाने का आदेश जारी किये जाने के पश्चात् और नियम 8 के अनुसार कार्यवाही किए जाने के पूर्व, यह पाया जाय कि स्वीकृति अग्रिम धन का पूर्णतः या अंशतः उपयोग न हो पायेगा तो स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को उक्त स्वीकृति रद्द या परिष्कृत करने, जैसी भी दशा हो, के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जायगा।

10--विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम में सम्मिलित किसी सेवा के लिये की गई व्यवस्था से अधिक (in excess) व्यय को पूरा करने के लिये निधि से स्वीकृत सभी अग्रिम धन की, पूरे वर्ष के लिये सेवाओं पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत निधि से दिये गये अग्रिम धन से पूरा किया गया अतिरिक्त व्यय भी है, विनियोग अधिनियम (एप्रोप्रियेशन ऐक्ट) के पारित होते ही निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।

11--जैसे ही राज्य विधान मण्डल व्यय को अनुपूरक विनियोग अधिनियम में सम्मिलित करके उसे अधिकृत कर दे, वैसे ही निधि से दी गई अग्रिम धन की निधि में प्रतिपूर्ति की जायेगी और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखे में आवश्यक समायोजन कर लिया जायगा।

12--विनियोग अधिनियम के अधिनियमित हो जाने के फलस्वरूप जैसे ही निधि में से दिये गये अग्रिम धन की निधि में प्रतिपूर्ति कर दी जाय, वैसे ही प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को इसके बारे में सूचना देगा जिसमें वह उस आदेश की संख्या तथा दिनांक लिखेगा जिसमें मूल अग्रिम धन दिया गया था। वित्त विभाग विनियोग अधिनियम की एक प्रति महालेखाकार को भेजेगा।

13--नियन्त्रण/संवितरण अधिकारी, आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम धन के व्यय के संबंध में सभी व्यवहारों का एक पृथक अभिलेख उसी प्रपत्र या उन्हीं प्रपत्रों में रखेंगे, जो संचित निधि से किये गये व्यय के अभिलेख रखने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं, और मुख्य शीर्षकों तथा लघु शीर्षकों और विनियोग की इकाइयों के सम्बन्ध में उतने ही ब्योरे देंगे जितने उस दशा में दिये जाते यदि व्यय संचित निधि से किया गया होता। ऊपर अभिदिष्ट प्रपत्र या प्रपत्रों को इस प्रकार विस्तृत किया जा सकता है कि नियंत्रण अधिकारी आकस्मिकता निधि से दिये गये अलग-अलग अग्रिम धन के, तथा उसमें से होने वाले व्यय पर निगाह रख सकें और जब उन अग्रिम धनों की निधि में प्रतिपूर्ति की जाय तो उनके संबंध में ब्योरों का अभिलेख भी रख सकें।

14--जब आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम धन की प्रतिपूर्ति उक्त निधि में अग्रिम धन लिये जाने वाले वर्ष के बाद वाले वर्ष में की जाय तो उस अग्रिम धन में से किये गये व्यय की धनराशि वस्तुतः संचित निधि में उस वर्ष के नामे डाल दी जायेगी जिस वर्ष ऐसी प्रतिपूर्ति की जाय। नियन्त्रक अधिकारीगण तद्नुसार आकस्मिकता निधि से किये गये व्यय से सम्बद्ध लेखे और संचित निधि से किये गये व्यय से सम्बद्ध लेखे के बीच आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां करेंगे।

15-उस दशा को छोड़कर जब नियम 10 के अधीन व्यवस्था की गई हो, अग्रिम धनराशियों की प्रतिपूर्ति के लिये अनुपूरक अनुमान विधान मण्डल के समक्ष, यथासम्भव, सम्बद्ध वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत किये जायेंगे। किन्तु यदि किसी कारणवश निधि से वित्तपोषित व्यय की प्रतिपूर्ति करना, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व सम्भव न हो, तो उस व्यय के लिये, जिसकी प्रतिपूर्ति न हुई हो, आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वास्तविक (Substantive) या प्रतीक (token) धनराशि, जैसी भी दशा हो, के लिये अनुपूरक अनुमानों द्वारा अनुवर्ती वर्ष में की जानी चाहिये।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

16—यदि किसी वर्ष की बचतों का उपयोग पिछले किसी वर्ष में आकस्मिकता निधि से लिये गये किसी अग्रिम धन की प्रतिपूर्ति के लिये किया जाय, तो नियन्त्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक पुर्नविनियोग ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है जो संगत नियमों के अधीन ऐसा करने के लिये सक्षम हो ।

17—विनियोग लेखे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष का कुल व्यय सचित निधि से पूरा किया गया व्यय तथा आकस्मिकता निधि से दिये गये ऐसे अग्रिम धन/ऐसी अग्रिम धनराशियों से पूरा किया गया व्यय होगा जिसकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उक्त निधि में न हुई हो ।

टिप्पणी—(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, वित्त विभाग को एक विवरण-पत्र भेजेगा जिसमें आकस्मिकता निधि से दी गई ऐसी अग्रिम धनराशियों में से, जिनकी प्रतिपूर्ति 31 मार्च तक न हुई हो, किया गया व्यय दिखाया जायगा ।

टिप्पणी—(2) यह सुनिश्चित करने के लिये कि आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये गये अग्रिम धनों की कुल धनराशि किसी भी समय, निधि में जमा धनराशि से अधिक न हो जाय, वित्त विभाग एक पृथक रजिस्टर में, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में, उक्त निधि से स्वीकृत की गई अग्रिम धनराशियों की एक सूची रखेगा । उक्त निधि से अग्रिम धनराशियों को स्वीकृत करने वाले सभी आदेशों की प्रतियां सम्बद्ध प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को पृष्ठांकित की जायेंगी। अग्रिम धन स्वीकृत करने वाला कोई भी आदेश तब तक जारी न किया जायगा जब तक कि वित्त विभाग का यह समाधान न हो जाय कि अग्रिम धन दिये जाने के लिये निधि में पर्याप्त धनराशि मौजूद है ।

[टिप्पणी—(1) इस नियमावली का नियम 4 उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1981 द्वारा प्रतिस्थापित नियम है जो शासकीय अधिसूचना संख्या बी-2-3455/दस-129-52-यू0पी0ए0/1950/-रूल्स-1962/ए0एम0 (4) 1981 दिनांक 16 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किया गया था । नियम 4 में इससे पूर्व भी तीन बार संशोधन किये जा चुके थे जिनका सन्दर्भ निम्नवत् है :—

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 जो अधिसूचना संख्या बी-2-5201/दस—129-52, दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 के साथ प्रकाशित हुई थी ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973, जो अधिसूचना संख्या बी-2-2230/दस—129-52, दिनांक 26 जुलाई, 1973 के साथ प्रकाशित हुई थी ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1973 जो अधिसूचना संख्या बी-2-4364/दस-129-52, दिनांक 28 दिसम्बर, 1973 के साथ प्रकाशित हुई थी ।]

(2) मूल नियमावली में जहां जहां 'महालेखापाल', 'बड़े शीर्षक', 'छोटे शीर्षक', तथा 'प्रभृत विनियोग' शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें इस संस्करण में क्रमश: सम्प्रति प्रचलित शब्द, 'महालेखाकार', 'मुख्य शीर्षक', 'लघु शीर्षक' तथा 'भारित विनियोग' में परिवर्तित कर दिया गया है ।

प्रपत्र

[नियम 1? की टिप्पणी (2) देखिये]

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि

निधि की धनराशि------------------------------रु0

क्रम-संख्या	अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	आदेश की संख्या तथा दिनांक	प्रयोजन	अग्रिम दी गई धनराशि	अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था के लिये अनुपूरक विनियोग अधिनियम	लौटाई गई धनराशि	प्रत्येक व्यवहार के पश्चात् शेष धनराशि	अवधायक अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				रु0		रु0	रु0		

टिप्पणी---प्रत्येक व्यवहार के पश्चात् धनराशि का शेष (Balance) निकाला जाना चाहिये ।

पी0एस0यू0पी0---ए0पी0 131 सा0 वित्त---9-10-82---(2152)-1982-5,000-(मैग0) ।